संख्याः शिक्षा–एच(प्रार०)(6) (3)–78/2012
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय ।
हिमाचल प्रदेश, शिमला–1

दिनांक, शिमला–171001 अप्रैल, 2022

सेवा में,

समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
हिमाचल प्रदेश ।

विषयः– GIA नियमों के अर्न्तगत नियुक्त किये गये SMC अध्यापकों एंव उर्दु एंव पंजावी अध्यापकों के वेतन बिलों को जैनेरेट करने बारे ।

महोदय,

विभिन्न अवसरों पर विभाग के ध्यान में आया है कि विभाग द्वारा एस०एम०सी० अध्यापकों तथा उर्दु एंव पंजावी अध्यापकों के वेतन हेतु अनुदान/मानदेय राशि समय पर जारी करने के बावजूद भी विभिन्न आहरण एवं वितरण अधिकारी उक्त राशि का समय पर आहरण कर जारी बजट का समयानुकूल प्रयोग कर पाने में विफल रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप काफी बजट प्रतिवर्ष लैप्स/समाप्त हो जाता है तथा कई पात्र लाभार्थी बजट के अभाव में अनुदान/मानदेय के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

उक्त के दृष्टिगत समस्त उप निदेशकों (प्रा०शि०) को निर्देश दिये जाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2022–23 से एस०एस०सी० अध्यापकों तथा उर्दु एंव पंजावी अध्यापकों के अनुदान/मानदेय की अदायगी के लिये बजट की मांग हेतु बिल ऑनलाईन ही जैनेरेट(सृजित) किये जाएं। इस हेतु वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था अनुसार डाक द्वारा प्राप्त बिल स्वीकार्य नहीं होंगे। अतः समस्त उप निदेशक (प्रा० शि०) सम्बन्धित आरहण एवं वितरण अधिकारियों को इस हेतु आगामी दिशा–निर्देश जारी करें। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि समस्त उप निदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) अपने जिले में GIA / Honorarium नियमों के अर्न्तगत नियुक्त किये गये एस०एम०सी० अध्यापकों एंव उर्दु एंव पंजावी अध्यापकों की संस्थाबार सूचि निम्न प्रपत्र पर, दिनांक 16.04.2022 तक निदेशालय में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, ताकि आगामी कार्रवाई व्यवहार में लाई जा सके–:

प्रपत्र

जिला का नाम–:

क्र०सं०	**अध्यापक का नाम/पद**	**पाठशाला का नाम**	**डी०डी०ओ० कोड**	**कोषागार (Treasury) कोड**
1	2	3	4	5

भवदीय,

संयुक्त नियन्त्रक(वित्त एंव लेखा)
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय(हि०प्र०)

पृष्ठांकन संख्याः समः दिनांकः शिमला–171001. अप्रैल, 2022
प्रतिलिपिः–

1. ईन्चार्ज आई टी सैल प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय हि०प्र० शिमला–1 से अनुरोध है कि उक्त पत्र की प्रति विभाग की वेवसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें ।
2. रक्षक नस्ति।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
05 APR 2022
शिमला–1

संयुक्त नियन्त्रक(वित्त एंव लेखा)
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय(हि०प्र०)